



(159)

न्यायालय श्रीमान् तदत्य महोदय राजस्व मंडल म.पु. ग्वालियर

Ag - 2969 - I - 16

B.O.R.

8 AUG 2016

G. 30-8-16 का अव  
अधि. हैवा. द्वा.  
मा. विल्ड  
30/8/16

1. घन्सु उर्फ़ घनश्याम बल्द बल्द चमार

2. गुड़ी तनय घनश्याम चमार

दोनों निवासी ग्राम गोटेट तहसीलिधौरा जिला टीकमगढ़

.. आवेदकगण

।। विल्ड ।।

म.पु. ग्राम

... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.पु. भू. राजस्व संहिता 1959

विल्ड अपर क्लैचटर टीकमगढ़ के पृष्ठ 14/त्वरित 0/13-14  
मै पारित आदेश दिनांक 02-06-2016 से दुखित होकर

मान्यवर महोदय,

आवेदकगणों की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना है :-

1 - यहाँकि, पुकरन्ज का संक्षिप्त विवरण हस्त प्रकार से है कि आवेदक गणों ने ग्राम गोटेट तहसीलिधौरा जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि छतरा नंबर 808/2 रकवा 1000 है 0 भूमि का पट्टा दिये जाने बावजूद विधिवत रूप से आवेदनपत्र नायब तहसीलदार वृत्त लिधौरा तहसीलिधौरा के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसपर नायब तहसीलदार द्वारा अपने न्यायालय में विधिवत रूप से पुकरन्ज क. 79/अ-19 ब्रू. वर्ष 2001-02 दर्ज किया गया तथा पुकरन्ज में विधिवत रूप से इस तहसीलदार जारी किया गया, निर्धारित तम्य अवधि में कोई भी आपत्तियाँ प्राप्त ना होने पर पुकरन्ज में पटवारी से रिपोर्ट नी गई एवं कब्जे के सम्बन्ध में ताक्षण ली गई एवं पात्रता इत्यादि की जांच करते हुए उक्त भूमि का पट्टा दिन 02. 11. 2002 को जारी किया गया, उक्त पट्टे के विल्ड कोई भी अपील या निगरानी ना होने के कारण उक्त आदेश अंतिम हो गया था, परंतु एक शिकायती आवेदनपत्र के आधार पर अपर क्लैचटर द्वारा अपने न्यायालय में पुकरन्ज दर्ज कर आवेदकगणों को सुनवाई का पर्याप्त ज्ञातर दिये बिना ही दिन 02. 06. 1

80  
27/06/16

✓

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.- 2969-एक/2016


जिला-टीकमगढ़

घन्स् व अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के क्रमांक 14/स्व.निग./2013-14 में पारित आदेश दिनांक 02-06-2009 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-08-2016 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>‘‘1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवर्त्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।’’</p> <p>4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय</p>	 

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर सभाग, सागर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।
6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये।
7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

  
(आर.के. जैन) 11.1.19

सदस्य